रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940
No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 जनवरी, 2019

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध.—पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार से प्राप्त 10 दिसम्बर 2018 के पत्र सं.14049/20/2009-पीजी (भाग-III) पत्र के अनुसरण में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, आदेश सं. टीएएमपी/18/2013-विविध दिनांक 30 सितंबर, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित, महापत्तनों पर परियोजनाओं हेतु प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2013 की वैधता में, संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी 2019 के 7वें दिन जारी)

1.1 पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं.14049/16/2012-पीजी दिनांक 9 सितंबर 2013 और 12 सितंबर 2013 के माध्यम से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के तहत महापत्तनों में परियोजनाओं हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2013 जारी किए हैं।

1.2. भारत सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में, महापत्तनों में परियोजनाओं हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कथित संशोधित दिशानिर्देश, 2013 प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में 30 सितम्बर, 2013 को राजपत्र सं. 254 पर अधिसूचित किए गए। ये दिशानिर्देश 9 सितम्बर, 2013 से लागू हुए।

2. उक्त दिशानिर्देशों के खंड 1.6 में कहा गया है कि जब तक इसे रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा नहीं की जा सकती है और इसके जारी होने की तारीख से 5 साल बाद इन्हें संशोधित किया जा सकता है। तदनुसार, 9 सितम्बर 2013 से प्रभावी संदर्भगत उक्त प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013, दिनांक 8 सितम्बर 2018 तक मान्य थे।

3. एमओएस ने अपने पत्र क्रमांक पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग-III) दिनांक 10 दिसम्बर 2018 के अंतर्गत "महापत्तनों पर परियोजनाओं हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2013" की वैधता, 8 सितम्बर 2019 तक अथवा आगामी आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी है।

4. तदनुसार, "महापत्तनों पर परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2013" की वैधता में, इसकी समाप्ति की तारीख यानी 9 सितम्बर 2018 से 8 सितम्बर 2019 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./488/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2019

No. TAMP/18/2013-Misc.—In pursuance of communication No.PR-14019/20/2009-PG (Pt-III) dated 10 December 2018 received from the Government of India in Ministry of Shipping, the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the 'Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013, notified vide Order No.TAMP/18/2013-Misc on 30 September 2013, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NO. TAMP/18/2013-MISC

QUORUM

(i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 7th day of January 2019)

1.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No.PR-14019/16/2012-PG dated 9 September 2013 and 12 September 2013 has issued Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

1.2. The said Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 were notified by TAMP in the Gazette of India on 30 September 2013 *vide* Gazette No.254 in compliance of policy direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963. These guidelines came into effect from 9 September 2013.

2. Clause 1.6 of the said guidelines stipulates that unless revoked or modified earlier, the Guidelines may be reviewed and revised after 5 years from the date of its issue. Accordingly, the said Reference Tariff Guidelines, 2013 which came into effect from 9 September 2013 was valid till 8 September 2018.

3. The MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG (pt-III) dated 10 December 2018 has extended the validity of "Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" till 8 September 2019 or until further orders, whichever is earlier.

4. Accordingly, the validity of the 'Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013' is extended from the date of its expiry i.e. from 9 September 2018 till 8 September 2019 or until further orders, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./488/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.17 21:59:15 +05'30'